न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः– 118/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार रूपवास, जिला भरतपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

एम0आर0 ग्रिट उद्योग, चक गूजर बलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1. शिशुपाल माडया पुत्र श्री अर्जुनराम कौम जाट निवासी एम0पी0 रोड दीमापुर नागालैण्ड।
2. प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामनाथ कौम जाट निवासी 291 गोम्स डिफेन्स कॉलौनी वैशाली नगर जयपुर।
3. सचिन पुत्र श्री समयसिंह कौम गुर्जर निवासी रसीलपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायनलाल कौम ब्राहमण निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. श्रीमती रामपति देवी पत्नी श्री दलवीरसिंह कौम जाट निवासी बयाना जिला भरतपुर।
6. श्रीमती ममता गुप्ता पत्नि श्री हेमन्त कुमार कौम वैश्य निवासी बयाना जिला भरतपुर।

.... अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश विरूद्व उपखण्डाधिकारी रूपवास क्रमांक भू0रू0/06/1089 दिनांक 2.5.2006

उपस्थित :
1. पैरोकार सरकार
2. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10.1.2019

प्रार्थी तहसीलदार रूपवास (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 32/6 रकबा 4.06 बीघा किस्म गै0मु0 उद्योग वाकै ग्राम चकगूजरबलाई तहसील रूपवास में स्थापित स्टोन क्रेशर (एम0आर0ग्रिट उद्योग) हेतु उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा 6963.31 वर्गमीटर भूमि का भूमि रूपान्तरण आदेश क्रमांक भू0रू0/06/1089 दिनांक 2.5.2006 जारी किया गया था जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद न्यायिक प्रक्रिया पूर्ति नियत दिनांक को वकील उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने बहस तर्कों में प्रार्थना पत्र रैफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम चकगूजरबलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। ख0नं0 32/6 रकबा 4.00 बीघा किस्म गै0मु0 उद्योग वाके ग्राम चकगूजरबलाई तहसील रूपवास अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के खातेदारी रकबा से 6963.31 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश कमांक भू0रू0/06/1089 दिनांक 2.5.2006 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया था जो कि बाद में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज होकर उनके द्वारा ही संचालित होकर वर्तमान में किस्म कदीम से परिवर्तित होकर गै0मु0 उद्योग अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। यह कि उक्त संपरिवर्तित भूमि में स्थापित स्टोन केशर उत्तर दिशा में ग्राम गूजर बलाई की आबादी से 600 मीटर की दूरी पर है। अतः स्टोन केशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 के बिन्दु संख्या 4 सी के अनुसार औद्योगिक रूपान्तरण आबादी से 1.5 कि0मी0 की त्रिज्या में दूरी होना आवश्यक है। इसके अलावा मौके पर केशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन केशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही केशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन केशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार रूपवास द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन केशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा पारित रूपान्तरण आदेश कमांक भू0रू0/06/1089 दिनांक 2.5.2006 निरस्त किया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1–4 वर्णित भूखण्ड (एम0आर0 ग्रिट उद्योग) के एकमात्र स्वामी व मालिक हैं। अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 रूपान्तरण आदेश के बाद की है जो इस रूपान्तरण पर लागू नहीं होती है। यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार वैर व अन्य राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन केशर की निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। प्रार्थी के द्वारा ग्राम गूजर बलाई की आबादी से 600 मीटर की दूरी पर स्टोन केशर स्थित होना गलत अंकित किया है। वक्त रूपान्तरण तैयार की गई चैक लिस्ट में दूरी को दर्शाया गया है । दौराने रूपान्तरण तैयार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 19 में प्रस्तावित स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक अर्थात ग्राम बलाईगूजर को 2 किलो मीटर की दूरी पर माना है तथा बिन्दु संख्या 26 में भी उक्त स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इस चैक लिस्ट पर राजस्व कर्मचारियान अधिकारियान के साथ–साथ उपखण्डाधिकारी रूपवास के हस्ताक्षर मौजूद है। चैक लिस्ट के अन्त में स्वयं उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा बतौर जांच अधिकारी यह प्रमाणित किया है कि " उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया एवं तथ्यों से सन्तुष्ट होकर स्टोन क्रेशर इकाई स्थापित किये जाने हेतु औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण किये जाने की अभिशंषा की जाती है।" इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन क्रेशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं क्रेशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अप्रार्थी के द्वारा यह भी कथन किया कि उनके द्वारा भारी ऋण एवं उधार लेकर मौके पर स्टोन क्रेशर का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः जो बिन्दु उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर क्रेशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं क्रेशर से वायु प्रदूषण होना माना है। रूपान्तरण आदेश पारित करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

वाले प्राधिकृत अधिकारी (एसडीओ) रूपवास ने दौराने रूपान्तरण तैयार चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 एवं 26 में उक्त स्थल की दूरी को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक (2 कि0मी0) होना ही स्पष्ट किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तहसीलदार द्वारा स्वयं जो कि रैफरेंसकर्ता भी है के द्वारा उक्त रूपान्तरित स्थल को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इस चैक लिस्ट पर तत्कालीन राजस्व कर्मचारियान/अधिकारियान के भी हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही चैक लिस्ट पर उपखण्डाधिकारी वैर द्वारा बाद जांच एवं मौका निरीक्षण इस रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। यह तथ्य चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 26 में स्पष्ट प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित प्लांट से कोई भी आबादी निर्धारित दूरी के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तैयार चैक लिस्ट से वर्तमान रिपोर्ट का परस्पर विरोधाभासी होना स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2006 में नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प0. 10(8) राज-6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र कमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। इस प्रकरण में भी दौराने रूपान्तरण आदेश एसडीओ/तहसीलदार द्वारा उक्त स्थल को आबादी से 2 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर होना ही माना गया है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डो की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 83 दोनो ही अपने आप पृथक-पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रकियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधसम्मत एवं न्यायोचित नही रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अत: प्रार्थनापत्र रैफरेंस इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) रूपवास स्वयं के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर यदि कोई विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

10.1.19

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अतिरिक्त भरतपुरलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्या:— 126/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास, जिला भरतपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

श्री बजरंग स्टोन क्रेशर खेडा ठाकुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1. सुखराम पुत्र श्री सरमन जाति कोली निवासी जसपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर।
2. कृष्ण गोपाल पुत्र सियाराम निवासी बयाना जिला भरतपुर।
3. श्रीमती वीना पत्नि श्री गैमीलाल निवासी बंध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी बंध बारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
5. वचनसिंह पुत्र रामगोपाल निवासी महवा जिला दौसा।
6. हरभानसिंह पुत्र थानसिंह निवासी रूपवास तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
7. विशम्बर दयाल पुत्र कन्हैयालाल नि0 बंधवारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. चन्द्रभान पुत्र कन्हैयालाल नि0 बंधवारैठा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.... अप्रार्थीगण

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी रूपवास क्रमांक भू0रू0/06/2754 दिनांक 29.9.2006

उपस्थित :
1. पैरोकार सरकार
2. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10.1.2019

प्रार्थी तहसीलदार रूपवास (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 1218/1 रकबा 6 बीघा किस्म गै0मु0 उद्योग वाकै ग्राम खेडाठाकुर तहसील रूपवास में स्थापित स्टोन क्रेशर (श्री बजरंग स्टोन क्रेशर) हेतु उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा 3235 वर्गमीटर भूमि का भूमि रूपान्तरण आदेश क्रमांक भू0रू0/06/2754 दिनांक 29.9.2006 जारी किया गया था जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद न्यायिक प्रक्रिया पूर्ति नियत दिनांक को वकील उभयपक्षकाशान बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने बहस तर्कों में प्रार्थना पत्र रैफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम खेडा ठाकुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। ख0नं0 1218/1 रकबा 6 बीघा किस्म कदीम वाकै ग्राम खेडाठाकुर तहसील रूपवास अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी के खातेदारी रकबा से 3235 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश कमांक /06/2754 दिनांक 29.9.2006 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया था । यह कि उक्त संपरिवर्तित भूमि में स्थापित स्टोन केशर के पश्चिम दिशा में ग्राम सेमरामाफी की आबादी से 1200 मीटर की दूरी पर है। अतः स्टोन केशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 के बिन्दु संख्या 4 सी के अनुसार औद्योगिक रूपान्तरण आबादी से 1.5 कि0मी0 की त्रिज्या में दूरी होना आवश्यक है। इसके अलावा मौके पर केशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन केशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही केशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन केशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार रूपवास द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन केशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा पारित रूपान्तरण अदेश कमांक राजस्व/06/2754 दिनांक 29.9.2006 निरस्त किया जावे।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त स्थल पर नियमानुसार स्टोन केशर संचालित किया जा रहा है। अधिसूचना दिनांक 2.4.2007 रूपान्तरण आदेश के बाद की है जो इस रूपान्तरण पर लागू नहीं होती है। यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराज़ी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार रूपवास व अन्य राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन केशर की निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है।

प्रार्थी के द्वारा ग्राम सेमरामाफी की आबादी से 1200 मीटर की दूरी पर स्टोन केशर स्थित होना गलत अंकित किया है। वक्त रूपान्तरण तैयार की गई चैक लिस्ट में दूरी को दर्शाया गया है । दौराने रूपान्तरण तैयार चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 19 में प्रस्तावित स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक अर्थात चारो दिशाओं की आबादी को 2 कि0मी0 की दूरी से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कम नहीं माना है। इस चैक लिस्ट पर स्वयं तहसीलदार रूपवास के साथ अन्य कर्मचारियान एवं अधिकारियान के हस्ताक्षर मौजूद है। जिसकी बिन्दु संख्या 19 में उक्त स्थल से आबादी दूरी को निर्धारित दूरी से अधिक होना स्पष्ट किया है। तहसीलदार रूपवास द्वारा बिन्दु संख्या 26 में भी उक्त स्थल को निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया हैं जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन केशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं केशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन केशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन केशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही केशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन केशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार रूपवास के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प0. 10(8) राज–6 / 2001 / 6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र कमांक प.9(98) राज.6 / 2014 / 1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अप्रार्थी के द्वारा यह भी कथन किया कि उनके द्वारा भारी ऋण एवं उधार लेकर मौके पर स्टोन केशर का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर केशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं केशर से वायु प्रदूषण होना माना है। रूपान्तरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी (एसडीओ) रूपवास ने दौराने रूपान्तरण तहसीलदार रूपवास द्वारा तैयार चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 एवं 26 में उक्त स्थल की दूरी को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक होना ही स्पष्ट किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दौराने पारित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रूपान्तरण आदेश तहसीलदार द्वारा स्वयं जो कि रैफरेंसकर्ता भी है के द्वारा उक्त रूपान्तरित स्थल को आबादी से निर्धारित दूरी से अधिक माना है। इस चैक लिस्ट पर तत्कालीन तहसीलदार रूपवास की भी हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही चैक लिस्ट पर उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा बाद जांच एवं मौका निरीक्षण इस रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है। यह तथ्य चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 26 में स्पष्ट प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित प्लांट से कोई भी आबादी निर्धारित दूरी के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार दौराने पारित रूपान्तरण आदेश तैयार चैक लिस्ट से वर्तमान रिपोर्ट का परस्पर विरोधाभासी होना स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2006 में नियमानुसार औपचारिकताएँ पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज. 6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। इस प्रकरण में भी दौराने रूपान्तरण आदेश एसडीओ/तहसीलदार द्वारा उक्त स्थल को आबादी से 2 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर होना ही माना गया है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डों की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबंधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाएँ है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) रूपवास स्वय के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर यदि कोई विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

10.1.19

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)